

प्रश्न सं. [क. 39]

परिशिष्ट – अ

मध्यप्रदेश राज्य में नये मदरसों के पंजीयन की प्रक्रिया विगत 5 वर्षों से बंद है। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के संक्रमण के कारण सम्पूर्ण लॉकडाउन के दृष्टिगत चालू नहीं की जा सकी थी। वर्ष 2022-23 में परिस्थितियों के सामान्य होने पर मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड के पूर्व से मान्यता प्राप्त मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। जिससे वह मदरसे जो पूर्व से मान्यता प्राप्त हैं, मान्यता का नवीनीकरण प्राप्त कर नियमानुसार निरंतर संचालन कर सकें।

यहाँ उल्लेखनीय है कि नवीन मदरसों के पंजीयन की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन कर स्वीकृति उपरांत नए मदरसों के पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।


सचिव
म. प्र. मदरसा बोर्ड
खीरवाड़ा